पत्र संख्या–6 / योजना–01–32 / 2016 गृ0आ0....................../

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक फरवरी, 2017

विषयः– **महिला पुलिस बलों के लिए सामर्थ्य विकास एवं संरचना विकास के लिए रेल पुलिस में कार्यरत महिला सिपाहियों के आवासन हेतु 6 स्थानों पर Single room-cum-barrack का निर्माण के लिए मॉडल प्राक्कलन के आधार पर कुल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 1201.62 लाख (बारह करोड़ एक लाख बासठ हजार रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तत्काल कार्य प्रारंभ करने हेतु ₹ 500.00 लाख (पाँच करोड़ रू0) विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना के पत्रांक–1046 / सा0शा0, दिनांक- 14.12.2016 के संबंध में कहना है कि महिला पुलिस बलों के लिए सामर्थ्य विकास एवं संरचना विकास के लिए रेल पुलिस में कार्यरत महिला सिपाहियों के आवासन हेतु 6 स्थानों पर यथा पाटलिपुत्रा जंक्शन, मुजफ्फरपुर पुलिस केन्द्र, सारण पुलिस केन्द्र, बिहार सैन्य पुलिस–7, तेघड़ा थाना परिसर बेगूसराय एवं भागलपुर पुलिस केन्द्र में Single room-cum-barrack का निर्माण के लिए संशोधित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रति इकाई ₹ 200.27 लाख की दर से कुल लागत राशि ₹ 1201.62 लाख (बारह करोड़ एक लाख बासठ हजार रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तत्काल कार्य प्रारंभ करने हेतु ₹ 500.00 लाख (पाँच करोड़ रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 500.00 लाख (पाँच करोड़ रू0) मात्र राज्य योजना की मांग संख्या–22 मुख्य शीर्ष–"4055–पुलिस पर पुंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–051–निर्माण–उपशीर्ष–0101–पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण" विपत्र कोड–P4055000510101 राज्य योजना स्कीम कोड– HOM - 5420 एवं विषय शीर्ष 53 01–मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल खाता में जमा किया जायेगा।

5. निर्माण का कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा किया जायेगा।

6. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

7. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. उपयोगिता प्रमाण–पत्र 3 माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

11. प्रस्ताव पर माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन संचिका सं0–6 / योजना–01–32 / 2016 गृ0आ0 के पृ0–14 / टि0 पर दिनांक–16.01.2017 एवं मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन संचिका सं0–6 / योजना–01–32 / 2016 गृ0आ0 के पृ0- 17 / टि0 पर दिनांक–25.01.2017 को प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 6 / योजना–01–32 / 2016 गृ0आ0 के पृ0–18 / टि0 पर दिनांक–02.02.2017 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0:–6 / योजना–01–32 / 2016 गृ0आ0 1134 / पटना, दिनांक 9 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना / पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव